प्रेषक

कुलसचिव,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

(1). **निदेशक,**
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2). **समस्त विभागाध्यक्षगण,**
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(3). **विभागाध्यक्षों से भिन्न समस्त आचार्य,**
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(4). **डॉ0 संजीव गुप्ता,**
एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(5). **श्री आशीष कुमार गुप्ता,**
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, दृष्टिबाधितार्थ विभाग,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

पत्रांक 2707 / पत्रा.सं0–568(द्वितीय) / डा.श.मि.रा.पु.वि. / वि0परि0 / 2021–22 दिनांकः23 मार्च, 2022

विषयः– डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा0 विद्या परिषद की 23वीं बैठक दिनांकः 11 मार्च, 2022 की कार्यवृत्त प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदया / महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा0 विद्या परिषद की 23वीं बैठक दिनाँकः 11 मार्च, 2022 को लिए गये निर्णयों का कार्यवृत्त की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जाने का निदेश हुआ है।

संलग्न– <u>यथोपरि।</u>

भवदीय,

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
की मा0 विद्या परिषद की
23वीं बैठक दिनाँकः 11 मार्च, 2022 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त

समय–	पूर्वाह्न : 11:30 बजे
स्थान–	प्रशासनिक भवन, पंचम तल स्थित सभागार, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की मा0 विद्या परिषद की 23वीं बैठक विश्वविद्यालय के पंचम तल स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही। बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

क्र0सं0	विषय
1/23	**मा0 विद्या परिषद की 22वीं बैठक हेतु निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–मा0 विद्या परिषद की 22वीं बैठक दिनाँक 26 नवम्बर, 2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
2/23	**मा0 विद्या परिषद की 22वीं बैठक दिनाँक 26 नवम्बर, 2021 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–मा0 विद्या परिषद, 21वीं बैठक दिनाँक 26 नवम्बर, 2021 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से अवगत हुई।
3/23	**मा0 विद्या परिषद की 20वीं बैठक दिनांक 24.08.2021 में उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1267/सत्तर–3–2021–16(26)/2011, दिनांक 15 जून, 2021 के अनुसार विश्वविद्यालय के संकायों के पुनर्गठन किये जाने हेतु गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार।**
	निर्णयः– मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1267/सत्तर–3–2021–16(26)/2011, दिनांक 15 जून, 2021 के अनुसार विश्वविद्यालय के संकायों के पुनर्गठन किये जाने हेतु कार्यालय–ज्ञाप पत्रांकः 955/फा0सं0–225/का0परि0/डॉ.श.मि.रा.पु.वि./2021–22, दिनांक 10.09.2021 द्वारा प्रो0 वी0 के0 सिंह, अधिष्ठाता, कला एवं संगीत संकाय के संयोजकत्व में प्रो0 शेफाली यादव, अधिष्ठाता, विधि एवं प्रो0 आर0 के0 श्रीवास्तव, अधिष्ठाता, कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी समेत 03 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। उक्त गठित समिति द्वारा विश्वविद्यालय में विषयों के संकाय की स्थिति तथा शासनादेश द्वारा निर्देशित व्यवस्था सम्यक् अध्ययन कर प्रेषित संस्तुतियों पर मा0 विद्या परिषद की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। मा0 विद्या परिषद द्वारा संकायों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में प्रेषित आख्या से अवलोकित होते हुए विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नवत् निर्णय लिए गएः–

I.	भाषा संकाय (Faculty of Languages)	
	1.	हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा (Hindi Language & other Indian Languages)
	2.	अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषा (English Language & other Foreign Languages)
II.	कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय (Faculty of Arts, humanities & Social Science)	
	1.	इतिहास विभाग (History Department)
	2.	राजनीति विज्ञान विभाग (Political Science Department)

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

	3.	लोक प्रशासन विभाग (Public Administration Department)
	4.	समाज शास्त्र/सामाजिक विज्ञान विभाग (Sociology/Social Science Department)
	5.	समाज कार्य विभाग (Social Work Department)
	6.	अर्थशास्त्र विभाग (Economics Department)
	7.	दर्शनशास्त्र विभाग (Philosophy Department)
	8.	पुस्तकालय विज्ञान विभाग (Library Science Department)
	9.	भूगोल विभाग (Geography Department)
	10.	शिक्षाशास्त्र विभाग (Education Department)
	11.	मनोविज्ञान विभाग (Psychology Department)
	12.	मानवशास्त्र विभाग (Anthropology Department)
III.	विधि संकाय (Faculty of Law)	
	1.	विधि विभाग (Law Department)
IV.	विज्ञान संकाय (Faculty of Science)	
	1.	वनस्पति विज्ञान विभाग (Botany Department)
	2.	जीव विज्ञान विभाग (Life Science Department)
	3.	रसायन विज्ञान विभाग (Chemistry Department)
	4.	भौतिक विज्ञान विभाग (Physics Department)
	5.	गणित विभाग (Mathematics Department)
	6.	सांख्यिकी विभाग (Statistics Department)
	7.	जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान विभाग (Biotechnology Department)
	8.	सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग (Microbiology Department)
	9.	कम्प्यूटर विभाग (Computer Department)
	10.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (Information Technology Department)
V.	वाणिज्य संकाय (Faculty of Commerce)	
	1.	वाणिज्य विभाग (Commerce Department)
	2.	प्रबन्धनशास्त्र विभाग (Management Department)
VI.	ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय (Faculty of Fine Arts and performing Arts)	
	1.	ललित कला विभाग (Fine Arts Department)
	2.	संगीत विभाग (Music Department)
VII.	पैरामेडिकल रिहैबिलीटेशन साइन्सेज (Faculty of Para-Medical Rehabilitation Sciences)	
	1.	बी0पी0ओ0 (Bachelor in Prosthetics and Orthotics)
	2.	बी0ए0एस0एल0पी0 (Bachelor in Audiology and Speech Language Pathology)
	3.	कालेज फॉर डेफ (College For Deaf)
VIII.	विशेष शिक्षा संकाय (Faculty of Special Education)	
	1.	श्रवण बाधितार्थ विभाग (Hearing Impairment Department) पी0डी0सी0डी0 (Pre-Degree Certificate for Deaf Students)
	2.	बौद्धिक अक्षमता विभाग (Intellectual Disability Department)
	3.	दृष्टि बाधितार्थ विभाग (Visual Impairment Department)
	4.	पुनर्वासन एवं बहुविकलांग विभाग (Rehabilitation and Multiple Disabilities Department)

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

4/23 **विश्वविद्यालय के शिक्षाशास्त्र विभाग में पी0एच0डी0 कार्यक्रम में प्रवेश लिए जाने के सम्बन्ध में।**

निर्णयः—मा0 विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षाशास्त्र विभाग में पीएच0डी0 कार्यक्रम हेतु उल्लिखित शासनादेशों, यू0जी0सी0 विनियमों एवं विश्वविद्यालय के शोध उपाधि समिति में लिए गये निर्णय के क्रम में शिक्षाशास्त्र विषय में विभागीय रिक्तियों के सापेक्ष पीएच0डी0 कार्यक्रम हेतु शोधार्थियों का प्रवेश लिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

5/23 **विश्वविद्यालय के शिक्षाशास्त्र विभाग में एम0ए0 शिक्षाशास्त्र संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।**

निर्णयः—मा0 विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र विभाग में स्नातक पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2019—20 से संचालित किया जा रहा है, जिसमें शिक्षाशास्त्र विषय के अन्तिम वर्ष में 87 विद्यार्थी अध्ययनरत् हैं। विद्यार्थियों के पठन—पाठन एवं उनके भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय में कला एवं संगीत संकाय के अधीन अन्य विभागों की भांति पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के अन्तर्गत एम0ए0 शिक्षाशास्त्र विषय में 40 सीटों के सापेक्ष सत्र 2022—23 से प्रवेश लिए जाने पर मा0 विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

6/23 **विश्वविद्यालय में कुलानुशासक मण्डल, छात्र—कल्याण मण्डल एवं चीफ प्रोवोस्ट/अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट आदि का मानदेय निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।**

निर्णयः—मा0 विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में वर्ष 2014 में कार्यालय ज्ञाप संख्या—1994/डी0एस0एम0एन0आर0यू0/प0सं0—179/ 2014—15 दिनांक—28 नवम्बर, 2014 द्वारा विश्वविद्यालय में नामित अधिष्ठाता, छात्र—कल्याण, सहायक अधिष्ठाता, छात्र—कल्याण, कुलानुशासक एवं सहायक कुलानुशासक आदि को दूरभाष हेतु प्रतिपूर्ति के मानदेय निर्धारण करते हुये प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा था।

उल्लेखनीय है उक्त कार्यालय ज्ञाप में वर्णित मानदेय वर्ष 2014 से अनुमन्य कराया जा रहा है, जिसे विभिन्न मण्डलों के बढ़ रहे कार्य दायित्व के दृष्टिगत उक्त अनुमन्य दरों को पुनरीक्षित किया जाना नितान्त आवश्यक है। मा0 विद्या परिषद द्वारा उक्त कार्यालय ज्ञाप में वर्णित दरों को निम्नानुसार पुनरीक्षित किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गयाः—

क्र0सं0	समिति/मण्डल	पदनाम	दूरभाष हेतु प्रतिपूर्ति (स्वीकृत राशि प्रतिमाह)	मानदेय (स्वीकृत राशि प्रतिमाह)
01	**छात्र कल्याण**	अधिष्ठाता छात्र कल्याण	विश्वविद्यालय द्वारा सी0यू0जी0 की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।	5000/—
		उप अधिष्ठाता छात्र कल्याण		3000/—
		सह अधिष्ठाता छात्र कल्याण		2000/—
02	**कुलानुशासक मण्डल**	कुलानुशासक		5000/—
		अपर कुलानुशासक		3000/—
		सहायक कुलानुशासक		2000/—
03	**छात्रावास पुरूष/महिला**	चीफ प्रोवोस्ट		5000/—
		अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट		3500/—
		प्रोवोस्ट		2000/—
		सह प्रोवोस्ट		1500/—

उक्त के अतिरिक्त कुलानुशासक एवं अधिष्ठाता, छात्र—कल्याण के कार्यालय को सूक्ष्म जलपान हेतु रू0 1000/— की धनराशि भी अनुमन्य कराये जाने पर मा0 विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

7/23	**विश्वविद्यालय में शैक्षिक संवर्ग के शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची निर्धारित किये जाने हेतु नियमों/विनियमों के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः—मा0 विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में शैक्षिक संवर्ग में एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेण्ट प्रोफेसर की ज्येष्ठता सूची निर्धारण हेतु प्रो0 शेफाली यादव, अधिष्ठाता, विधि एवं प्रो0 नागेन्द्र यादव, अधिष्ठाता, वाणिज्य की 02 सदस्यीय समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा अवगत कराया गया कि **डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, की प्रथम परिनियामावली, 2009 में एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर की ज्येष्ठता निर्धारित करने के वैधानिक नियम (Statutory Rules) उल्लिखित नहीं है। जिसके अभाव में ज्येष्ठता सूची बनाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। ज्येष्ठता संबंधी विभिन्न प्रकरणों में परिस्थितियां भिन्न है। जिससे ज्येष्ठता सूची तैयार करने हेतु कुछ विशेष नियमों की आवश्यकता है। तदोपरान्त समिति द्वारा निर्देश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के कुछ राज्य विश्वविद्यालयों यथा—लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, छत्रपति साहूजी महाराज, विश्वविद्यालय, कानपुर गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उरदू अरबी फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ की प्रथम परिनियमावलियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया और डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में अध्यादेश तैयार कर प्रस्तावित किया गया तथा अपेक्षा की गई कि उपयुक्त प्राधिकारियों/समितियों द्वारा उनका अवलोकन/संशोधन/अंगीकृत कर लिया जाए, जिससे ज्येष्ठता संबंधी नियमों का निर्धारण होने के उपरान्त शिक्षको की ज्येष्ठता संबंधी मुद्दों का निराकरण कर, उनकी ज्येष्ठता सूची बनाई जा सके।** मा0 विद्या परिषद द्वारा शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में हिन्दी एवं अंग्रेजी में तैयार किये गये प्रस्तावित अध्यादेश पर अनुशीलन/परीक्षण करते हुए सुझाव आमंत्रित किए जाने का निर्णय लिया गया तथा अगली बैठक में प्रस्तुत किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।
8/23	**विश्वविद्यालय में 'शोध नीति' तैयार किये जाने पर विचार।**
	निर्णयः—मा0 विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के मिशन एवं विजन के आलोक में विश्वविद्यालय में विशेष कार्याधिकारी, शोध प्रकोष्ठ द्वारा तैयार किये गये **'शोध नीति—2022'** पर अनुमोदन प्रदान करते हुए समस्त मा0 सदस्यों को इस आशय के साथ निर्गत किया गया कि प्रस्तुत **'शोध नीति—2022'** के आलेख में 10 दिनों में किसी प्रकार के सुझाव प्राप्त होते हैं, तो उन्हें भी अध्यक्ष महोदय की अनुमति से समाहित किए जाने पर विचार किया जाएगा।
9/23	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।**
	भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के अनुसार विश्वविद्यालय के विशेष शिक्षा संकाय के अन्तर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों का अध्ययन मण्डल के अनुमोदन के उपरान्त कार्यक्रम परिमार्जन पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।
	निर्णयः—मा0 विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में विशेष शिक्षा संकायान्तर्गत विभिन्न विभागों में संचालित पाठ्यक्रमों में विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा समय—समय पर बैठक आहूत करते हुए अपनी संस्तुति सहित भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली की पाठ्यचर्यानुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन/संशोधित किया गया है, जो विभागवार निम्नवत् हैं:—

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

	श्रवण बाधितार्थ विभागः उक्त विभाग में डी0एड, विशेष शिक्षा के तैयार किये गये नवीन पाठ्यक्रम को शैक्षिक सत्र 2021–22 से लागू किये जाने पर विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। **दृष्टि बाधितार्थ विभागः** उक्त विभाग में डी0एड विशेष शिक्षा के तैयार किये गये नवीन पाठ्यक्रम को शैक्षिक सत्र 2021–22 से लागू किये जाने पर विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। **बौद्धिक अक्षमता विभागः** उक्त विभाग में डी0एड विशेष शिक्षा के तैयार किये गये नवीन पाठ्यक्रम को शैक्षिक सत्र 2021–22 से लागू किये जाने पर विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। मा0 विद्या परिषद द्वारा विशेष शिक्षा संकाय से विभागवार प्रेषित अध्ययन मण्डलों की संस्तुतियों पर सम्यक् विचार–विमर्श उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।
किसी अन्य बिन्दु के अभाव में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।	

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ